भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †5245
दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

हिमाचल प्रदेश में पीएमकेकेकेवाई का कार्यान्वयन

†5245. सुश्री कंगना रनौत:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) संशोधित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के दिशानिर्देशों (जनवरी 2024) में क्या संशोधन किए गए हैं और इनसे खनन प्रभावित जिलों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में इस योजना का कार्यान्वयन किस प्रकार आगे बढ़ने की संभावना है;
(ख) क्या राज्य सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) को शासित करने वाले नियमों में इन संशोधित दिशानिर्देशों को शामिल करने के लिए आवश्यक संशोधन किए हैं और यदि नहीं, तो इसके लिए क्या समय-सीमा तय की गई है;
(ग) सरकार द्वारा परियोजना निर्माण और निष्पादन में स्थानीय शासी निकायों (ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों और जिला प्रशासनों) की भागीदारी तय करने सहित उक्त राज्य में पीएमकेकेकेवाई के तहत निधि के आवंटन और व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
(घ) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों और पारिस्थितिक रूप से संवदेनशील क्षेत्रों में उक्त योजना को लागू करने में किन्हीं विशिष्ट चुनौतियों की पहचान की है और यदि हां, तो अवसंरचना के बेहतर विकास और आजीविका में सहायता देने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) खान मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश जारी किए और दिनांक 12.02.2024 को राज्यों को संबंधित राज्य डीएमएफ नियमों में पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश 2024 को शामिल करने के निर्देश दिए। इन दिशानिर्देशों की कुछ

प्रमुख विशेषताओं में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में डीएमएफ निधि का कम से कम 70% उपयोग और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा डीएमएफ खातों की अनिवार्य लेखापरीक्षा शामिल है। हिमाचल प्रदेश सहित सभी खनन प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफ की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ये संशोधन किए गए थे। जनवरी, 2025 तक हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों को अपने राज्य डीएमएफ नियमों में शामिल नहीं किया है।

(ग) हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (संशोधन) नियम, 2021 डीएमएफ के तहत निधि उपयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, खनन से प्रभावित तथा अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित गांवों के संबंध में, पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की योजना बनाने तथा क्रियान्वयन में स्थानीय निकायों की भागीदारी आवश्यक होगी।

(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके, कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र और विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक स्थितियां पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन में विशिष्ट चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। डीएमएफ द्वारा वन, स्वास्थ्य, खनन और स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ ग्रामीण विकास विभागों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से इनका समाधान किया जाता है। इससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना विकास और आजीविका में सहायता करने के लिए निधियों का बेहतर उपयोग हो रहा है।

*****